निग. 3238 अ/14 (उमरिया)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश म.प्र. शासन / रामसेवक सिंह	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
13—10—14	म0प्र0 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री डी. के. शुक्ला उपस्थित । उनके द्वारा कलेक्टर, उमरिया के पत्र कमांक 491/अ—74/09—10/2013/177 दिनांक 12—9—14 के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा प्र.क. 491/अ—74/2009—10 में पारित आदेश दिनांक 16—9—10 के पुनरावलोकन की अनुमति दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया है । उनके द्वारा कहा गया कि इस प्रकरण में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा धारा 167 के प्रावधानों के तहत आदिवासी की भूमि से गैर आदिवासी की भूमि के विनिमय का जो आदेश दिया गया है वह संहिता के प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि तहसील बिरसिंहपुर पाली जहां भूमि स्थित है अधिसूचित क्षेत्रान्तर्गत आता है, जिसमें किसी भी प्रकार की भूमि का अंतरण प्रतिबंधित है । 2— विद्वान शासकीय अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । विचारोपरांत कलेक्टर, उमरिया द्वारा चाही गई पुनरावलोकन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि कलेक्टर, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण में विधिवत आदेश पारित करें । 3— इस आदेश की प्रति के साथ कलेक्टर, उमरिया का अभिलेख वापिस किया जाये । (हस्ताक्षर) सदस्य	(हस्ताक्षर) 13/10/14